

8/24

वकील पक्षकार व राजपरोकार उपस्थित।  
 प्रतिवादी संख्या 1 त 10 का वकालतनामा व जवाब  
 इकवाल्दाया पी मुक्या कुमार शर्मा एड. ने पेश  
 किया। वकाल इकवाल्दाया दिली गई। मामिल  
 पत्रायली हो। राजपरोकार ने जाहिर किया कि  
 प्रकरण में राजपरोकार प्रभावित नहीं होता।

इस प्रकरण का कोई एजेंडा पेश नहीं  
 हुआ है। वर पक्षकार वर के साथ प्रकृत  
 Am-1 के अनुसार एका विभाजन को सतप्त  
 हैं। अतः यह वादपत्र खिंची किया जाता है तथा  
 विवादित कृषि दूध रोटी ग्राम जिगसाना ताल  
 लु तरानगर के एकरा नंबर 454/19 तादी

तादाती 6.0570 हेक्टर का खाला विभाजन किया  
प्रकार किया जाता है:-

(1) कृषि अभि लेगी ग्राम जिगसाका ताल तहसील  
तारागार जिला पूरु के ख.न. 454/19 में तादाती  
6.0570 हेक्टर में ही परिचय तरफ की 3.0285 हेक्टर  
जिसे Annex-1 में बरंग लाल से दर्शाया गया है  
तादाती द्वारा बातों के एक विस्था में रहेगी।

(2) बाकी भांडा बदलतुर पत्रावली रहेगा।  
तदनुसार पत्ती डिक्की जायेगी ही।  
वाड पंजकाराग डिक्की की पुस्त पर अंकित  
किये जावें।

निजीप फाद डिग्रील 8.1.24 को ही  
इफलास सुनाया गया। पत्रावली निजीप  
से सुनाए की जाकर दारिदल दफ्तरी।

उपखण्ड अधिकारी  
तारागार (पूरु)।